# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

## बईजलास श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0

प्रार्थनापत्र संख्या :– (119/2012)
10/2018

दायर तारीख 17.10.2012
20.03.2018

अनवान

01. जमनी बाई पत्नि श्रीलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा हाल फतेहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थीया

बनाम

1. नन्दलाल पिता जयलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
2. किशनलाल पिता जयलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
3. नन्दु बाई पुत्री जयलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
4. बरदी बाई बैवा जयलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
5. कालु पिता देवा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
6. प्रभु पिता देवा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
7. भंवरी बैवा देवा जाति धाकड उम्र बालिग निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.....अप्रार्थीगण/विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री जगदीश धाकड अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण/विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय**

दिनांक :28/08/2019

प्रकरण मे संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयाा द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 18.09.2012 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण/विपक्षीगण प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र बाद जांच दिनांक 15.10.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये समन मलब किया गया। न्यायालय द्वारा जारी समन बाद तामील प्राप्त होकर शमिल पत्रावली किये गये।

नियत पेशी दिनांक को विपक्षा संख्या 01 से 07 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य कि ओर से अधिकार पत्र मय जवाब पेश किया गया जिसकी एक प्रति वकिल प्रार्थीया को दिलवायी गई वकील विपक्षी ने अपने जावब में प्रार्थना पत्र के तथ्यो अस्वीकार करते

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

हुये अंकित किया प्रार्थना पत्र चरण संख्या 04 आंशिक रूप स्वीकार है प्रार्थीयो ने रास्ता विपक्षीगण की खातेदारी भूमि से होकर मांगा है वहा कोई रास्ता नही है। प्रार्थना पत्र की चरण 05 के सम्बन्ध में तथ्यो को अस्वीकार करते हुये आराजी खसरा संख्या 457/3 जो की प्रार्थीया की खातेदारी भूमि बताई जा रही है। उस पर पहुचने के लिये आराजी खसरा संख्या 457/2 व 417/1 के मध्य से होकर नही है। प्रार्थीया ने यह भी अंकित किया की जिस रास्ते की प्रार्थीया मांग कर रही है। वह रास्ता किस प्रकार के सुखाधिकार में आता है। प्रार्थीया द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया गया की यह रास्ता कितने वर्षो की कितनी समय अवधि किन-किन कार्यो के लिये जाता है। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर पहुचने के लिये जब भूमि विभाजन से प्राप्त की तभी से वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करती रही है। प्रार्थीया के खातेदारी भूमि रास्ते के अभाव में पडत नही रही है। केवल मुआवजा भुगतान करने के आधार पर किसी खातेदार को रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थीया को साबित करवाना आवश्यक है कि सुखाधिकार की किस श्रेणी में प्रार्थीया के रास्ते की मांग आती है। प्रार्थीया ने वास्विक तथ्यो को छुपाकर यह दावा प्रस्तुत किया है प्रार्थीया कभी भी कल्याणपुरा नही रही है। प्रार्थीया नयागांव निवास कर रही है। इसके सुसराल पक्ष के पूर्वज 100 वर्ष पहले कल्याणपुरा छोडकर नयागांव (फतेहनगर) के पास चले गये प्रार्थीया भी वही निवास कर रही है। प्रार्थीया ने मांगीलाल पिता जयलाल धाकड से भूमि क्रय की है। प्रार्थीया ने इस तथ्य को छिपाया है। भूमि को पुश्तेनी बताकर रास्ते की मांग की है। गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है लाभ पाने की अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र के साथ नक्शा ट्रेस, वर्तमान जमाबन्दी की नकल ग्राम कल्याणपुरा सम्वम 2066- 2069 तथा खाता संख्या 43 सम्वत 2066-2069 की जमाबन्दी, खाता संख्या 22 सम्वत 2066 से 2069 की जमाबन्दी व ग्राम कल्याणपुरा की खाता संख्या 1 सम्वत 2066-69 की जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की है।

इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवायी दिनांक 15.01.2014 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ग्राम कल्याणपुरा की आराजी नं0 457/3 पहुचने के लिये 457/1 व 457/2 के मध्य से 7-7 फीट का रास्ता प्रार्थीया को मिलने पर व सुखाधिकार से अपने आराजीयात पर पहुच सकेगी। तहसीलदार बिजौलियां ने भी नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शे में इन्ही तथ्यो को अंकित किया है। पर्चो मौके मे यह भी अंकित किया गया की वर्षो उक्त आराजीयात का रास्ता 457/1 व 457/2 के मध्य से होकर निकलता था। विपक्षीगण ने आराजी नं0 457/3 का रास्ता बन्द कर रखा है। नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीया की भूमि पर जाने को विकल्प में कोई रास्ता नही होने से प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रास्ते की मांग की है। जो उचित माना जाकर रास्ता प्रदत्त किया गया था।

**विपक्षीगण द्वारा उक्त निर्णय से व्यथीत होकर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की अपीलेट न्यायालय से दिनांक 31.10.2017 को अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्त न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.01.2014 को निरस्त कर प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पर्चा मौका बनाते समय उभयपक्ष की मोजूदगी सुनिशिचत कर यदि मौके पर किसी तरह की कोई आपति हो तो उसका निस्तारण भी तत्समय ही कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।**

प्रकरण में पुनः इस कार्यालय के पत्रांक रीडर/2018/10/18 दिनांक 18.07.2018 मौका निरीक्षण हेतु तहसीलदार बिजौलियां को प्रेषित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

बिजौलियां के अपने पत्रांक/राजस्व/2019/1177 दिनांक 20.08.2019 से रिपोर्ट प्रस्तुत कि ग्राम कल्याणपुरा के आराजी नं0 456/5 रकबा 0–02 बीघा गेमु. रास्ते मांग की हैं।

पटवारी हल्का गोपालपुरा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कल्याणपुरा के आराजी नं0 457/1 रकबा 4–14 बीघा जो कालू, प्रभु, पिता देवा, भंवरी बेवा देवा धाकड़ नि0 कल्याणपुरा एवं आराजी नं0 457/2 रकबा 4–14 बीघा नन्दलाल, किशनलाल पिता जयलाल नन्दू पुत्री जयलाल, बरदी देवी बेवा जयलाल धाकड़ नि0 कल्याणपुरा के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड है। संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार उक्त दोनों आराजी के मध्य आराजी नं0 457/5 रकबा 0–02 बीघा, आराजी नं0 457/6 रकबा 0–02 बीघा रास्ता दर्ज रेकॉर्ड हैं। ग्राम कल्याणपुरा के आराजी नं0 457/3 रकबा 4–16 बीघा जो जमनीबाई पत्नी श्रीलाल धाकड़ सा0 कल्याणपुरा के नाम खातेदारी से दर्ज रेकॉर्ड है पर आने जाने का और कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं। पूर्व में पारित आदेश दिनांक 15.01.2014 की पालना में राशि पूर्व से ही राजकोष में जमा हो चुकी हैं। प्रार्थी/विपक्षीगण को पटवारी/भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण हेतु दुरभाष पर बार–बार सम्पर्क किया गया किन्तु उपस्थित नही होना अंकित किया हैं। प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि पर आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

हमने प्रत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण बहस मनन किया ।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मौजा ग्राम कल्याणपुरा के आराजी नं0 457/1 रकबा 4–14 बीघा जो कालू, प्रभु, पिता देवा, भंवरी बेवा देवा धाकड़ नि0 कल्याणपुरा एवं आराजी नं0 457/2 रकबा 4–14 बीघा नन्दलाल, किशनलाल पिता जयलाल नन्दू पुत्री जयलाल, बरदी देवी बेवा जयलाल धाकड़ नि0 कल्याणपुरा के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड है। संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार उक्त दोनों आराजी के मध्य आराजी नं0 457/5 रकबा 0–02 बीघा, आराजी नं0 457/6 रकबा 0–02 बीघा रास्ता दर्ज रेकॉर्ड हैं। ग्राम कल्याणपुरा के आराजी नं0 457/3 रकबा 4–16 बीघा जो जमनीबाई पत्नी श्रीलाल धाकड़ सा0 कल्याणपुरा के नाम खातेदारी से दर्ज रेकॉर्ड है पर आने जाने का और कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं। पूर्व में पारित आदेश दिनांक 15.01.2014 की पालना में राशि पूर्व से ही राजकोष में जमा हो चुकी हैं। प्रार्थी/विपक्षीगण को पटवारी/भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण हेतु दुरभाष पर बार–बार सम्पर्क किया गया किन्तु उपस्थित नही होना अंकित किया हैं। प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि पर आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं। ग्राम कल्याणपुरा की डीएलसी 79100/– रूपये प्रति बीघा है। रास्ते की भूमि 14 फीट यानि की 4 बिस्वां भूमि की किमत 15820/– रूपये बनती है। रास्ता प्रयोजन डीएलसी की दर दुगनी 31640/– रूपये राजकोष में जमा होने पर नियमत राजस्व रेकार्ड में रास्ता प्रयोजन भूमि दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को प्रेषित हो।

प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि पर आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने तथा रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** पुनः स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम कल्याणपुरा की डीएलसी 79100/– रूपये प्रति बीघा है। रास्ते की भूमि 14 फीट यानि की 4 बिस्वां भूमि की कीमत 15820/– रूपये बनती है। रास्ता प्रयोजन डीएलसी की दर दुगनी 31640/– रूपये राजकोष में पूर्व में जमा है जो बतौर मुआवजा विपक्षीगणों को भुगतान योग्य हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को प्रेषित हो।

निर्णय दिनांक 29/08/2019 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि -भीलवाडा

Scanned by CamScanner